वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से
डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

**क्रमांक 16 ]** **भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 अप्रैल 2016-चैत्र 26, शके 1938**

## भाग 3 ( 1 )

## विज्ञापन

### अन्य सूचनाएं

### उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण एवं खास को ज्ञात हो कि मैं, भोला प्रसाद विश्वकर्मा, आयु 59 वर्ष पिता स्व. श्री रामसिपाही विश्वकर्मा, निवासी-म.प्र.पा.जन.कं.लि. कॉलोनी चचाई जो म.प्र.पा.जन.कं.लि. अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई में संयंत्र पर्यवेक्षक के पद पर कार्यालय अधीक्षण अभियंता (सेवाएं) चचाई के वर्कशाप में पदस्थ हूँ. मेरे सेवा अभिलेख (सेवा पुस्तिका) में भोला प्रसाद लोहार लिखा गया है जबकि मेरी उपजाति विश्वकर्मा है. मैं, भोला प्रसाद लोहार व भोला प्रसाद विश्वकर्मा एक ही व्यक्ति है उपनाम (सरनेम) लोहार के जगह विश्वकर्मा लिखा व पढ़ा व समझा जावे.

अतः सूचना के माध्यम से मैं यह घोषित करता हूँ कि मेरा नाम भोला प्रसाद उप-नाम (सरनेम) विश्वकर्मा है. मुझे इसी नाम व उपनाम (सरनेम)से पढ़ा-लिखा व समझा जावे.

पुराना नाम :
**( भोला प्रसाद लोहार )**

नया नाम :
**( भोला प्रसाद विश्वकर्मा )**
पिता-स्व. श्री रामसिपाही विश्वकर्मा,
पता—म.प्र.पा.जन.कं.लि. चचाई कॉलोनी,
क्वाटर नं. डी-62, चचाई, थाना चचाई,
तहसील व जिला-अनूपपुर (म.प्र.)पिन-484220.

(16-बी.)

### नाम परिवर्तन

मैं, शपथकर्ता का नाम शासकीय एवं गैर शासकीय दस्तावेजों में Sanjay Kumar Pendor, निवासी-New B-73, AB Type Colony, Sarni Betul Pin-460447.

जबकि मैं, शपथकर्ता का नाम अब परिवर्तित होकर Sanjay Pendor S/o Laxman Bisan Pendor, New B-73, AB Type Colony, Sarni Betul Pin-460447 से जाना एवं पहचाना जाता हूँ साथ ही शासकीय एवं गैर शासकीय दस्तावेजों सहित अन्य सभी जगह पर Sanjay Pendor के नाम से ही पहचाना जायें.

पुराना नाम :
**( संजय कुमार पेन्डोर )**

नया नाम :
**( संजय पेन्डोर )**

(17-बी.)

## नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम जियाउद्दीन डेरकी था, किन्तु अब मुझे मेरे नये नाम जिआ एस डेरकी पिता सेफ ई डेरही के नाम से जाना-पहचाना जावें.

पुराना नाम :

**( जियाउद्दीन डेरकी )**

**( ZIAUDDIN DAIRKEE)**

नया नाम :

**( जिआ एस डेरकी/**पिता सेफ ई डेरही **)**

**(ZIA S DAIRKEE/S/o SAIF E DAIRHEE)**

निवासी-46, बी, टेगोर मार्ग, नीमच.

(18-बी.)

---

## उप-नाम परिवर्तन

पी. सी. रमाकान्त शर्मा पिता श्री नागेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी मैं, अपना सरनेम (उपनाम) शर्मा के स्थान पर चतुर्वेदी अपने सर्विस रिकार्ड में दर्ज करना चाहता हूँ. भविष्य में मैं, इसी सरनेम का उपयोग करूंगा.

पुराना नाम :

**( रमाकांत शर्मा )**

नया नाम :

**( रमाकांत चतुर्वेदी )**

201, महेश गार्ड लाईन, इन्दौर (म.प्र.).

(19-बी.)

---

## नाम परिवर्तन

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम "शुभदा मोडक" था तथा वर्तमान में मेरा नाम "प्रेरणा मोडक" है तथा मैं, प्रेरणा मोडक के नाम से ही जानी जाती हूँ.

पुराना नाम :

**( शुभदा मोडक )**

पति देवेन्द्र मोडक.

नया नाम :

**( प्रेरणा मोडक )**

पति देवेन्द्र मोडक,

41, इन्द्र लोक कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.).

(20-बी.)

---

## उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम गीतिका बॉथम पिता श्री ललित बॉथम था जो विवाह पश्चात् श्रीमती गीतिका बाली पति श्री सुनील बाली हो गया है. अतः मुझे श्रीमती गीतिका बाली पति श्री सुनील बाली के नाम से जाना-पहचाना जावे एवं समस्त शासकीय, अर्धशासकीय रिकार्ड/दस्तावेजों में दर्ज कर यही नाम लिखा/पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

**( गीतिका बॉथम )**

नया नाम :

**( गीतिका बाली )**

160, नेताजी सुभाष मार्ग, कमाठीपुरा,

इन्दौर (म.प्र.).

(21-बी.)

---

## आम-सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं विभा बिश्नोई/रितु/रितिका अरोरा पत्नी श्री अनिल अरोरा, निवासी-76/1, छत्रपति शिवाजी कॉलोनी, चूना-भट्टी, भोपाल आज दिनांक तक उपरोक्त नाम से जानी जाती थी तथा आज दिनांक के उपरान्त मैं विभा अरोरा पत्नी श्री अनिल अरोरा, के नाम से जानी जाऊँगी.

पुराना नाम :

**( विभा बिश्नोई/रितु/रितिका अरोरा )**

नया नाम :

**( विभा अरोरा )**

पत्नी श्री अनिल अरोरा,

निवासी-76/1, छत्रपति शिवाजी कॉलोनी,

चूना-भट्टी, भोपाल (म.प्र.).

(22-बी.)

## आम सूचना

मैं, अपने पक्षकारगण के निर्देशानुसार सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पक्षकारगण की फर्म दौलतराम इन्डस्ट्रीज भूखण्ड क्र. 10-ई., इन्डस्ट्रीयल इस्टेट, गोविन्दपुरा, भोपाल जिसका पार्टनरशिप पंजीयन क्रमांक 1120, दिनांक 26 नवम्बर, 1983 है उक्त फर्म में तीन पार्टनर सतीश नाथ शर्मा आ. स्व. श्री मधु सूदन शर्मा, 75 प्रतिशत, शोभित शर्मा आ. स्व. श्री सतीश नाथ शर्मा 12.50 प्रतिशत एवं श्रीमती अरूणा शर्मा पत्नी स्व. श्री सतीश नाथ शर्मा 12.50 प्रतिशत के पार्टनर रहे हैं. ऐसा कि एक पार्टनर सतीश नाथ शर्मा की दिनांक 19 दिसम्बर, 2015 को मृत्यु हो जाने के कारण सतीश नाथ शर्मा के वारिस एवं पार्टनर शोभित शर्मा आ. स्व. श्री सतीश नाथ शर्मा उम्र 24 साल, श्रीमती अरूणा शर्मा पत्नी स्व. श्री सतीश नाथ शर्मा, उम्र 72 साल, निवासीगण म. न. एचएक्स-1, ई-7, ऐक्सटेंशन, अरेरा कॉलोनी, भोपाल उक्त फर्म में पार्टनर के रूप में रह गये हैं. जिसकी पार्टनरशिप डीड दिनांकित 22 दिसम्बर, 2015 है. जिसके पार्टनर शोभित शर्मा 49 प्रतिशत एवं श्रीमती अरूणा शर्मा 51 प्रतिशत के पार्टनर उक्त फर्म में हो गये हैं अब उक्त फर्म में उपरोक्त दोनों पार्टनर के नाम अंकित/संशोधित किये जाने तथा स्व. श्री सतीश नाथ शर्मा का नाम पार्टनर से हटाये जाने हेतु फर्म एवं संस्थाएं भोपाल मध्यप्रदेश में आवेदित किया गया है यदि उपरोक्त वर्णित फर्म में उक्त दोनों पार्टनर बनाये जाने/जोड़ने/संशोधित करने में या उनके नाम पर या सतीश नाथ शर्मा का नाम हटाने में व उसके किसी भाग या हिस्से से किसी व्यक्ति, बैंक, वित्तीय संस्था, सोसायटी या अन्य का कोई हित, स्वत्व, संबंध या किसी प्रकार का कोई लेन-देन हो तो वह इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस की अवधि में मय प्रमाण सहित दस्तावेज मेरे कार्यालय में या कार्यालय फर्म एवं संस्थाएं भोपाल मध्यप्रदेश प्रस्तुत कर सकते हैं. समयावधि निकल जाने के पश्चात् किसी प्रकार का कोई दावा, स्वत्व या आपत्ति मेरे पक्षकारगण पर एवं फर्म एवं संस्थाएं भोपाल मध्यप्रदेश बंधनकारी नहीं होगी और मेरे पक्षकारगण उपरोक्त फर्म में सतीश नाथ शर्मा का नाम हटाने में एवं दोनों पार्टनर के नाम रखने/जोड़ने/संशोधित करने एवं पंजीयन अपने पक्ष में करवाने के लिए स्वतंत्र होंगे. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अन्तर्गत पालनार्थ सर्व सूचना और आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

**JAGDEO PATLE,**
( Advocate)
MPR. No. 386/00, (A/c No. 2769)
59, Rohtas Ngr. Phase-II, Khajurikala, Bhopal.

(23-B.)

## आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स श्रीराम एण्ड कम्पनी स्थित 101, जवाहरगंज, डबरा, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/02/00182/14, दिनांक 18-02-2014 है. जिसमें दिनांक 01-04-2015 को भागीदार श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री भरोसा राम, निवासी करहिया, भितरवार, जिला ग्वालियर एवं श्री सन्तोष बाथम पुत्र स्व. श्री प्रभूदयाल बाथम, निवासी जवाहरगंज, डबरा, जिला ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं, सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

फर्म-श्रीराम एण्ड कम्पनी
**हरीबाबू शिवहरे,**
(भागीदार)
जवाहरगंज, डबरा, ग्वालियर (म.प्र.).

(24-बी.)

## आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स दि गंगवाल इण्डस्ट्रीज स्थित गंगवाल भवन, फालका बाजार, लश्कर, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक 251, दिनांक 25-04-1978 है. जिसमें दिनांक 22-02-2016 को भागीदार स्व. श्रीमती शकुन्तला गंगवाल का स्वर्गवास हो जाने के कारण फर्म से पृथक् हो गई एवं इसी दिनांक को श्री देवयश गंगवाल पुत्र श्री प्रशांत गंगवाल, निवासी गंगवाल भवन, लश्कर, ग्वालियर फर्म में सम्मिलित हो गये हैं, सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

फर्म-दि गंगवाल इण्डस्ट्रीज,
**वीरेन्द्र कुमार गंगवाल,**
(भागीदार-कर्ता)
फालका बाजार, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(25-बी.)

## PUBLIC NOTICE

Public Notice is hereby given that from Partnership Firm M/s S.S.A & Associates 2457, Near Anant Hospital, Wright Town, Jabalpur having Reg. No. 04/14/01/0005/13, Dated 04-04-2013. Shri Ashish Mahawar S/o Shri Ghanshyam Das Mahawar, Shri Sanjeev Kumar Khatri S/o Shri Janaklal Khatri & Shri Ankit Mahawar S/o Shri Ghanshyam Das Mahawar

have reitred from firm w.e.f. 24-03-2016 and now in the partnership firm there are following partners:-

1. Shri Sunil Kumar Jain S/o Late Shri Narendra Kumar Jain.
2. Shri Alok Upadhyay S/o Shri Shyam Charan Upadhyay.
3. Shri Sunny Jain S/o Shri Sunil Kumar Jain.
4. Shri Bhagwan Das Shripal S/o Shri Suraj Prasad.

For-S.S.A. & Associates
**SUNIL KUMAR JAIN**
(Partner).

(26- B.)

# विविध

## न्यायालयों की सूचनाएं

### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर एवं पंजीयक, लोक न्यास, जिला सतना

**प्रारूप क्रमांक-4**

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-5 (1) के द्वारा ]

लोक न्यासों के पंजीयक सतना जिला के समक्ष.

यत: कि श्री लालबहादुर सिंह तनय स्व. शिवप्रताप सिंह वगै., निवासी सिविल लाईन, महिला थाना के पीछे सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

**अनुसूची**

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

| | | |
|---|---|---|
| 1. न्यास का नाम व पता | : | कुसुम चेरिटेबल ट्रस्ट, सोमवंशी सदन, सिविल लाईन, महिला थाना के पीछे, जिला सतना,(म.प्र.). |
| 2. अचल सम्पत्ति | : | निरंक. |
| 3. चल सम्पत्ति | : | निरंक. |

**प्रारूप-5**

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-5 (1) के द्वारा ]

लोक न्यासों के पंजीयक सतना के समक्ष.

अत: मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है.

अब इसलिए मैं रमेश कुमार सिंह, जिला सतना लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को कथित अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कथित न्यास का संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशंय रखने वाले को दो प्रतियों में नियत दिनांक 27 अप्रैल, 2016 भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: या प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

**रमेश कुमार सिंह,**
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(272)

## न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, ट्रस्ट रायसेन

रायसेन, दिनांक 29 मार्च, 2016

**फार्म-4**

[मध्यप्रदेश ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट 1982 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष :- रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.).

जैसा कि श्री कमलेश जैन, सहमंत्री श्री विद्याशीष श्री जयबाई प्यारेलाल जैन परमार्थ ट्रस्ट (न्यास) मुखर्जी नगर रायसेन, तहसील व जिला रायसेन ने अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र अनुसूची में दर्शायी गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया है. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र मेरे द्वारा दिनांक 29 मार्च, 2016 को विचार हेतु रखा जावेगा यदि कोई भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट की सम्पत्ति में हित रखता हो या आपत्ति/सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन से एक माह के अन्दर दिनांक 30 मई, 2016 को स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो, अवधि समाप्ति के बाद उक्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेंगा.

**अनुसूची**

| | | |
|---|---|---|
| ट्रस्ट का नाम | .. | श्री विद्याशीष जयबाई प्यारेलाल जैन परमार्थ न्यास (ट्रस्ट) मुखर्जी नगर रायसेन (म.प्र.). |
| ट्रस्ट की सम्पत्ति | .. | ट्रस्ट के बैंक एकाउन्ट में एफ. डी. के रूप में 5,00,000/- (पांच लाख रुपये) जमा है. |
| वार्षिक आय व्यय | .. | कुछ नहीं. |

**बी. एस. ईवने,**
अनुविभागीय अधिकारी.

(275)

# अन्य सूचनाएं

## कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास

देवास, दिनांक 22 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/653.— श्री लक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., देवास, पंजीयन क्रमांक 419, दिनांक 20 नवम्बर, 1998 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मण्डल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है)की धारा-49 (8)(2)(ख) के अन्तर्गत संचालकों के पद स्वत: रिक्त माने जाकर श्री एम. एस. सिद्दीकी, सहकारी निरीक्षक को संस्था में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था. अधिनियम, अनुसार प्रशासक की नियुक्ति के पश्चात् पंजीयन दिनांक से संचालक मण्डल के सदस्यों के निर्वाचन नहीं कराये गये थे. उक्त संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा रूचि लिये जाना प्रतीत हुआ है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम, का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री लक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., देवास, पंजीयन क्रमांक 419, दिनांक 20 नवम्बर, 1998 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. सी. चौहान, अंके. अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

**के. एन. त्रिपाठी,**
उप-पंजीयक.

(278)

## कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 29 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/997.—जय भीम रफतार यातायात सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./205, दिनांक 26 जून, 1993 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/189, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 367 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् जय भीम रफतार यातायात सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. डी. पचौरिया, सहकारी निरीक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(274)

---

ग्वालियर, दिनांक 29 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/998.—माँ पीताम्बरा सिलाई उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./400, दिनांक 26 नवम्बर, 2007 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/215, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 380 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् माँ पीताम्बरा सिलाई उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री रविन्द्र शर्मा, अंकेक्षण अधिकारी, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(274-A)

---

ग्वालियर, दिनांक 29 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/999.—भदावर तेल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./430, दिनांक 21 फरवरी, 1984 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/213, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 379 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् भदावर तेल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री जी. डी. परिहार, अंकेक्षण अधिकारी, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(274-B)

---

ग्वालियर, दिनांक 29 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1000.—प्रजापति ईंट-भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./04, दिनांक 17 जुलाई, 1959 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/219, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 382 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रजापति ईंट-भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(274-C)

---

ग्वालियर, दिनांक 29 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1001.—कालीन्द्री पी. वी. सी. उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./390, दिनांक 11 मार्च, 2005 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/220, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 383 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् कालीन्द्री पी. वी. सी. उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने

का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एफ. ए. खान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(274-D)

---

ग्वालियर, दिनांक 29 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1002.—जय अम्बिका यातायात सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./204, दिनांक 26 जून, 1993 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/190, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 368 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् जय अम्बिका यातायात सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री ओ. पी. पाठक, सहकारी निरीक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(274-E)

---

ग्वालियर, दिनांक 29 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1003.—वीना बादनी महिला सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./792, दिनांक 27 मार्च, 1995 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/229, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 387 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् वीना बादनी महिला सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री ओ. पी. पाठक, सहकारी निरीक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(274-F)

---

ग्वालियर, दिनांक 29 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1004.—रश्मि महिला अल्प बचत साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./783,

दिनांक 10 फरवरी, 1995 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/177, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 362 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् रश्मि महिला अल्प बचत साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री मनोज श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(274-G)

---

ग्वालियर, दिनांक 29 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1005.—जाग्रति महिला साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./872, दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/224, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 385 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् जाग्रति महिला साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. एल. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(274-H)

---

ग्वालियर, दिनांक 29 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1006.—दिलाशा साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./992, दिनांक 20 अक्टूबर, 2011 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/188, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 367 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन,

सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् दिलाशा साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री नरेश सगर, सहकारी निरीक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(274-I)

---

ग्वालियर, दिनांक 29 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1007.—महिला विकास साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./851, दिनांक 02 सितम्बर, 1996 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/225, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 385 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् महिला विकास साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. सी. शर्मा, सहकारी निरीक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(274-J)

---

ग्वालियर, दिनांक 29 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1008.—ए. एस. साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./988, दिनांक 16 अक्टूबर, 2009 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/187, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 366 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् ए. एस. साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. एस. सोलंकी, अंकेक्षण अधिकारी, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(274-K)

ग्वालियर, दिनांक 29 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1009—रोशन महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./839, दिनांक 15 अप्रैल, 1996 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/181, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 363 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् रोशन महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री नरेश सगर, सहकारी निरीक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(274-L)

---

ग्वालियर, दिनांक 29 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1010.—कावेरी महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./798, दिनांक 06 मई, 1995 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/182, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 364 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् कावेरी महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री राजकुमार शर्मा, सहकारी निरीक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(274-M)

---

ग्वालियर, दिनांक 29 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1011.—श्रमिक प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./158, दिनांक 18 अप्रैल, 1963 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/178, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 363 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् श्रमिक प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री राजेश मंगल, सहकारी निरीक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(274-N)

---

ग्वालियर, दिनांक 29 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1012.—पंचमहल महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सिरसुला, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./306, दिनांक 25 मई, 2002 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/345, दिनांक 28 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 28 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 437 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् पंचमहल महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सिरसुला को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री भूपेन्द्र पाल सिंह, सहकारी निरीक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(274-O)

---

ग्वालियर, दिनांक 29 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1015.—चम्बल क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./406, दिनांक 29 अप्रैल, 2008 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/344, दिनांक 28 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 28 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 437 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् चम्बल क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. डी. बरसैया, सहकारी निरीक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(274-P)

ग्वालियर, दिनांक 29 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1014.—शैली महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./960, दिनांक 28 जून, 2004 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/192, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 369 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् शैली महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री अजय आहूजा, सहकारी निरीक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(274-Q)

---

ग्वालियर, दिनांक 29 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1015.—तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उटीला, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./597, दिनांक 19 मार्च, 1991 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/207, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 376 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उटीला को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सतीश अग्रवाल, उप-अंकेक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(274-R)

---

ग्वालियर, दिनांक 29 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1016.—तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रनगंवा, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./493, दिनांक 31 मार्च, 1989 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/208, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 377 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रनगंवा को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आलोक साहू, उप. अंकेक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(274-S)

---

ग्वालियर, दिनांक 29 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1017.—तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घाटीगाँव, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./496, दिनांक 31 मार्च, 1989 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/206, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 376 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घाटीगाँव को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री भगवत शरण चौवे, उप. अंकेक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(274-T)

---

ग्वालियर, दिनांक 29 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1018.—तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पाटई, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./501, दिनांक 31 मार्च, 1989 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/209, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 377 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पाटई को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सतीश अग्रवाल, उप. अंकेक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(274-U)

ग्वालियर, दिनांक 29 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1019.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बड़ागाँव, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./956, दिनांक 26 अगस्त, 2004 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/210, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 378 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बड़ागाँव को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री भगवत शरण चौबे, उप. अंकेक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(274-V)

---

ग्वालियर, दिनांक 29 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1020.—कैंसर कैंपस प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./416, दिनांक 10 अक्टूबर, 1983 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/183, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 364 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् कैंसर कैंपस प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सुधीर श्रीवास्तव, उप. अंकेक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(274-W)

---

ग्वालियर, दिनांक 29 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1021.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नयागांव, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./980, दिनांक 06 फरवरी, 2008 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/211, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 378 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नयागांव को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आनंद कुमार मॉझी, सहकारी निरीक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(274-X)

---

ग्वालियर, दिनांक 29 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1022.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लोढ़पुरा, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./431, दिनांक 23 फरवरी, 2013 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/212, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 379 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लोढ़पुरा को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आलोक साहू, उप. अंकेक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(274-Y)

---

ग्वालियर, दिनांक 30 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1063.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेरवायां, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./426, दिनांक 20 दिसम्बर, 2012 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/294, दिनांक 27 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 27 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 414 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेरवायां को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री रविन्द्र शर्मा, अंकेक्षण अधिकारी, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(276)

ग्वालियर, दिनांक 30 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1064.—महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिरोली, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./922, दिनांक 10 जुलाई, 2002 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/296, दिनांक 27 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 27 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 415 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिरोली को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री ओ. पी. पाठक, सहकारी निरीक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(276-A)

---

ग्वालियर, दिनांक 30 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1065.—इन्द्रागांधी महिला बहुउद्देशिय सहकारी संस्था मर्या., घई, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./903, दिनांक 16 मार्च, 2001 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/277, दिनांक 27 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 27 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 406 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् इन्द्रागांधी महिला बहुउद्देशिय सहकारी संस्था मर्या., घई, को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री भूपेन्द्र पाल सिंह जादौन, सहकारी निरीक्षक जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(276-B)

---

ग्वालियर, दिनांक 30 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1066.—महामाई दुर्गा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., किटोंरा पिछोर, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./963, दिनांक 16 जुलाई, 2004 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/280, दिनांक 27 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 27 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 407 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् महामाई दुर्गा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., किटोंरा पिछोर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एफ. ए. खान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(276-C)

---

ग्वालियर, दिनांक 30 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1067.—हरिओम महिला बहुद्धेशिय सहकारी संस्था मर्या., बेंहट, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./972, दिनांक 24 मई, 2001 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/286, दिनांक 27 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 27 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 410 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् हरिओम महिला बहुद्धेशिय सहकारी संस्था मर्या., बेंहट को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री मदन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(276-D)

---

ग्वालियर, दिनांक 30 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1068.—शक्तिपुंज महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गंगा मालनपुर, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./957, दिनांक 26 जून, 2004 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/293, दिनांक 27 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 27 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 414 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् शक्तिपुंज महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गंगा मालनपुर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री राजीव कौशिक, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(276-E)

ग्वालियर, दिनांक 30 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1069.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गढ़ी पिछोर, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./142, दिनांक 18 जून, 2004 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/288, दिनांक 27 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 27 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 411 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गढ़ी पिछोर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री भूपेन्द्र पाल सिंह, सहकारी निरीक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(276-F)

---

ग्वालियर, दिनांक 30 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1070.—श्री महालक्ष्मी दीप, मोमबत्ती एवं अगरबत्ती उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./304, दिनांक 26 सितम्बर, 2002 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/289, दिनांक 27 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 27 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 412 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् श्री महालक्ष्मी दीप, मोमबत्ती एवं अगरबत्ती उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती इन्द्रा निगम, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(276-G)

---

ग्वालियर, दिनांक 30 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1071.—अजय प्रकाशन मुद्रण वितरण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./236, दिनांक 29 दिसम्बर, 1995 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/266, दिनांक 27 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 27 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 400 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् अजय प्रकाशन मुद्रण वितरण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री राजीव कौशिक, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(276-H)

---

ग्वालियर, दिनांक 30 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1072.—तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आरौन, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./501, दिनांक 31 मार्च, 1989 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/267, दिनांक 27 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 27 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 401 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आरौन को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी घाटीगाँव, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(276-I)

---

ग्वालियर, दिनांक 30 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1073.—तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चीनोर, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./754, दिनांक 31 अगस्त, 1994 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/281, दिनांक 27 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 27 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 408 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चीनोर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी भितरवार, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(276-J)

ग्वालियर, दिनांक 30 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1074.—संध्या महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., डबरा, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./104, दिनांक 16 मार्च, 2001 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/287, दिनांक 27 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 27 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 411 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् संध्या महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., डबरा को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी डबरा, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(276-K)

ग्वालियर, दिनांक 30 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1075—अन्नपूर्णा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सेंथरी, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./911, दिनांक 01 जनवरी, 2012 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/291, दिनांक 27 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 27 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 413 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् अन्नपूर्णा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सेंथरी को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री जे. के. शर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(276-L)

---

ग्वालियर, दिनांक 30 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1077.—गिर्राज यातायात सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./202, दिनांक 26 जून, 1993 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/268, दिनांक 27 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 27 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 401 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् गिर्राज यातायात सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सुनील निम्बालकर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(276-M)

---

ग्वालियर, दिनांक 30 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1078.—गिर्राज बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., छीमक, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./500, दिनांक 31 अगस्त, 1989 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/302, दिनांक 27 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 27 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 418 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् गिर्राज बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., छीमक को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी डबरा, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(276-N)

---

ग्वालियर, दिनांक 30 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1079.—तानसेन फिल्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./12, दिनांक 09 फरवरी, 1984 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/272, दिनांक 27 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 27 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 403 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् तानसेन फिल्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री रविन्द्र शर्मा, अंकेक्षण अधिकारी, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(276-O)

ग्वालियर, दिनांक 30 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1080.—अनु. जाति महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., धुआं, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./1902, दिनांक 23 नवम्बर, 2000 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/295, दिनांक 27 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 28 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 415 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् अनु. जाति महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., धुआं को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री जी. डी. परिहार, अंकेक्षण अधिकारी, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(276-P)

---

ग्वालियर, दिनांक 30 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1081.—कृष्णा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., ररूआ, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./942, दिनांक 16 अप्रैल, 2004 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/270, दिनांक 27 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 27 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 402 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् कृष्णा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., ररूआ को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री नरेश सगर, सहकारी निरीक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(276-Q)

---

ग्वालियर, दिनांक 30 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1082.—अनु. जाति, जनजाति कामगारो की सहकारी संस्था मर्या., आरोन घाटीगांव, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./709, दिनांक 02 जुलाई, 1994 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/278, दिनांक 27 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 27 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 406 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् अनु. जाति, जनजाति कामगारो की सहकारी संस्था मर्या., आरोन घाटीगांव को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी घाटीगांव, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(276-R)

---

ग्वालियर, दिनांक 30 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1083.—महालक्ष्मी धाम महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., डबरा बुजुर्ग, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./933, दिनांक 05 फरवरी, 2004 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/269, दिनांक 27 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 27 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 402 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् महालक्ष्मी धाम महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., डबरा बुजुर्ग को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी डबरा, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(276-S)

---

ग्वालियर, दिनांक 30 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1084.—सर्व हितकारी खनिज सहकारी संस्था मर्या., घाटीगाँव, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./374, दिनांक 26 जून, 2004 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/301, दिनांक 27 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 27 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 418 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् सर्व हितकारी खनिज सहकारी संस्था मर्या., घाटीगाँव को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर.डी. पचौरिया, सहकारी निरीक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(276-T)

ग्वालियर, दिनांक 30 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1085.—महावीर शक्ति दलित तेलघानी उघोग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./422, दिनांक 27 अप्रैल, 1985 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/300, दिनांक 27 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 27 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 417 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् महावीर शक्ति दलित तेलघानी उघोग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री भगवत शरण चौवे, उप. अंकेक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(276-U)

---

ग्वालियर, दिनांक 30 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1086.—महाराजा अग्रसेन साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./804, दिनांक 30 जून, 1995 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/292, दिनांक 27 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 27 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 413 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् महाराजा अग्रसेन साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती नम्रता अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(276-V)

---

ग्वालियर, दिनांक 30 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1087.—उदय बुनकर सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./25, दिनांक 13 जनवरी, 1989 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/284, दिनांक 27 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 27 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 409 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् उदय बुनकर सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. डी. बसैया, सहकारी निरीक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(276-W)

---

ग्वालियर, दिनांक 30 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1088.—कॉचमणी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./701, दिनांक 17 जनवरी, 1988 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/297, दिनांक 27 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 27 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 416 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् कॉचमणी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती चित्रा देवगांकर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(276-X)

---

ग्वालियर, दिनांक 30 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1089.—साग-सब्जी, फल, फूल उत्पादक एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./199, दिनांक 06 नवम्बर, 2001 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/275, दिनांक 27 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 27 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 405 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् साग-सब्जी, फल, फूल उत्पादक एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री जी. एस. कुशवाह, सहकारी निरीक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(276-Y)

ग्वालियर, दिनांक 30 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1090.—महिला होजरी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./926, दिनांक 29 मार्च, 2003 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/276, दिनांक 27 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 27 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 405 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् महिला होजरी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी.एल. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(276-Z)

---

ग्वालियर, दिनांक 30 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1091.—डॉ. अम्बेडकर रफतार योजना परिवहन उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./207, दिनांक 16 नवम्बर, 1993 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/274, दिनांक 27 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 27 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 404 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् डॉ. अम्बेडकर रफतार योजना परिवहन उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(277)

---

ग्वालियर, दिनांक 30 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1092.—पीताम्बरा प्रिंटिंग प्रेस सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./354, दिनांक 08 सितम्बर, 2003 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/282, दिनांक 27 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 27 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 408 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् पीताम्बरा प्रिंटिंग प्रेस सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री राजकुमार शर्मा, सहकारी निरीक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(277-A)

---

ग्वालियर, दिनांक 30 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1093.—दि टेलीग्राफ क्रेडिट एम्पलाईज सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./356, दिनांक 21 दिसम्बर, 1996 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/279, दिनांक 27 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 27 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 407 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् दि टेलीग्राफ क्रेडिट एम्पलाईज सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एफ. ए. खान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(277-B)

---

ग्वालियर, दिनांक 30 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1094.—विंध्याचल गोली विस्कुट उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./283, दिनांक 11 जून, 1997 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/290, दिनांक 27 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 27 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 412 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् विंध्याचल गोली विस्कुट उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती चित्रा देवगांवकर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(277-C)

ग्वालियर, दिनांक 30 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1095.—तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कछौआ, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./526, दिनांक 05 फरवरी, 1990 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/285, दिनांक 27 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 27 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 410 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कछौआ को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सतीश अग्रवाल, उप-अंकेक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(277-D)

---

ग्वालियर, दिनांक 30 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1096.—तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवरीकला, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./505, दिनांक 31 मार्च, 1993 गत तीन वर्षों से अकार्यशील होने, संस्था के सदस्यों की रुचि नहीं होने, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/273, दिनांक 27 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 27 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 404 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवरीकला को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आलेक साहू, उप-अंकेक्षक, जिला ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

**संजय दलेला,**
उप-पंजीयक.

(277-E)

---

## कार्यालय परिसमापक, तिरूपति क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., बलरामपुर

दिनांक 07 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/Q-1.—तिरूपति क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., बलरामपुर, तहसील पन्धाना, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1933, दिनांक 28 जनवरी, 2005 है, को उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक 19, दिनांक 03 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 07 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(242)

## कार्यालय परिसमापक, न्यू क्रेडिट को-आप. लिमि. सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा

दिनांक 07 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/Q-1.—न्यू क्रेडिट को-आप. लिमि. सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 2295, दिनांक 07 फरवरी, 2015 है, को उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक 06, दिनांक 03 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 07 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(242-A)

## कार्यालय परिसमापक, श्री लक्ष्मी बीज उत्पादक क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., बोरगाँवबुजुर्ग

दिनांक 17 नवम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/Q.—श्री लक्ष्मी बीज उत्पादक क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., बोरगाँवबुजुर्ग, तहसील पंधाना, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक IR/IDR/2015/2337, दिनांक 10 फरवरी, 2015 है, को उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक 673, दिनांक 08 जुलाई, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 17 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(242-B)

## कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 09 अक्टूबर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, खण्डवा द्वारा निम्नलिखित सहकारी समिति को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960

की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

| क्र. | नाम सहकारी समिति | पंजीयन क्र. एवं दिनांक | परिसमापन आदेश क्र. व दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | शिवशक्ति बीज उत्पादक क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., पाडल्या | 2045/ 27-07-2007 | 2015/265, 17-04-2015 |

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे (अधोहस्ताक्षरकर्ता) लिखित रूप में स्वयं (स्थान) कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, खण्डवा में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 60 दिवस की अवधि में किसी दावेदार/लेनदार/देनदार में कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

इसके पश्चात संस्था के पंजीयन के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी.

**दीपक झंवर,**
परिसमापक.

(242-C)

---

## कार्यालय परिसमापक, संत श्री सांई फसल सहकारी संस्था मर्या., सराय

दिनांक 11 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/Q.—संत श्री सांई फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., सराय, तहसील पंधाना, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 2043, दिनांक 27 जुलाई, 2007 है, को उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक/परि./2015/17, दिनांक 03 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(243)

---

## कार्यालय परिसमापक, शिव शक्ति फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., कुमठा

दिनांक 09 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/Q.—शिव शक्ति फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., कुमठा, तहसील पंधाना, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 2044, दिनांक 27 जुलाई, 2007 है, को उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक/परि./2015/11, दिनांक 03 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(243-A)

## कार्यालय परिसमापक, गायत्री फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., कोहदड़

दिनांक 10 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/Q.—गायत्री फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., कोहदड़, तहसील पंधाना, जिला खण्डवा जिसका पंजीयन क्रमांक 2039, दिनांक 27 जुलाई, 2007 है, को उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक/परि./2015/22, दिनांक 02 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

**उस्मान खान,**
परिसमापक.

(243-B)

---

## कार्यालय परिसमापक, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा

दिनांक 04 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा जिसका पंजीयन 43, दिनांक 21 जनवरी, 1974 है, को उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक/परि./2015/21, दिनांक 02 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 04 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई है.

(244)

---

## कार्यालय परिसमापक, मोंठीमाता प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी संस्था भण्डार मर्या., छैगाँव माखन

दिनांक 07 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

मोंठीमाता प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी संस्था भण्डार मर्या., छैगाँव माखन, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा जिसका पंजीयन क्रमांक DR/KWA/1681, दिनांक 15 फरवरी, 1999 है, को उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक/परि./2015/24, दिनांक 02 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 07 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

(244-A)

## कार्यालय परिसमापक, गायत्री महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., रायपुर

दिनांक 07 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

गायत्री महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., रायपुर, तहसील खालवा, जिला खण्डवा जिसका पंजीयन क्रमांक DR/KWA/1930, दिनांक 22 अक्टूबर, 2004 है, को उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक/परि./2015/18, दिनांक 03 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 07 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी की गई है.

**रमेश मंगवानी,**
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(244-B)

---

## कार्यालय परिसमापक, जय काली फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., लुन्हार

दिनांक 27 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./Q-5.—जय काली फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., लुन्हार, तहसील पंधाना, जिला खण्डवा जिसका पंजीयन क्रमांक 2053, दिनांक 02 जुलाई, 2007 है, को उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक 37, दिनांक 02 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(245)

---

## कार्यालय परिसमापक, जय श्रीराम फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., गुडीखेडा

दिनांक 27 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./Q-4.—जय श्रीराम फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., गुडीखेडा, तहसील पंधाना, जिला खण्डवा जिसका पंजीयन क्रमांक 2052, दिनांक 02 जुलाई, 2007 है, को उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक 36, दिनांक 02 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(245-A)

## 'कार्यालय परिसमापक, जय भोले फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., वोरखेडाखुर्द

दिनांक 27 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./Q-3.—जय भोले फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., वोरखेडाखुर्द, तहसील हरसूद, जिला खण्डवा जिसका पंजीयन क्रमांक 2055, दिनांक 01 अगस्त, 2007 है, को उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक 35, दिनांक 02 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(245-B)

---

## कार्यालय परिसमापक, श्री बालाजी फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., इटवारैयत

दिनांक 27 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./Q-2.—श्री बालाजी फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., इटवारैयत, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा जिसका पंजीयन क्रमांक 2057, दिनांक 01 अगस्त, 2007 है, को उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक 05, दिनांक 03 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(245-C)

---

## कार्यालय परिसमापक, सिंगाजी फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., सेमल्या

दिनांक 27 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./Q-1.—सिंगाजी फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., सेमल्या, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा जिसका पंजीयन क्रमांक 2054, दिनांक 27 जुलाई, 2007 है, को उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक 07, दिनांक 02 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

**एम. एम. श्रीवास्तव,**
परिसमापक.

(245-D)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2016.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16 ] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 अप्रैल 2016-चैत्र 26, शके 1938


## भाग 3 ( 2 )

### सांख्यिकीय सूचनाएं

**मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2015**

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के धार जिले को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.—

**( अ ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.**—तहसील बदनावर ( धार) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

**( द ) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.**—तहसील धार, कुक्षी, मनावर, धरमपुरी, गंधवानी, डही ( धार) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**— जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, सागर, दमोह, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, शाजापुर, बड़वानी, जबलपुर, कटनी, डिण्डोरी, सिवनी में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला सिंगरौली में फसल, राई-सरसों, गेहूँ व श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, सागर, दमोह, रीवा, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, आगर, शाजापुर, देवास, खरगौन, बड़वानी, बुरहानपुर, भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, डिण्डोरी व सिवनी में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.—** . .

5. **कटाई.**—जिला मण्डला, बालाघाट में फसल धान व धार में सोयाबीन व पन्ना, सिधी, सिवनी में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सिंगरौली, नीमच, झाबुआ, बड़वानी, सिवनी व बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

**मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2015**

| जिला/तहसीलें | 1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक. | 2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर. | 3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत. | 5. सिंचाई के लिये पानी ( कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति. | 7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **जिला मुरैना :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. अम्बाह | . . | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. पोरसा | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. मुरैना | . . | | | | |
| 4. जौरा | . . | | | | |
| 5. सबलगढ़ | . . | | | | |
| 6. कैलारस | . . | | | | |
| **जिला श्योपुर :** | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है. | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. श्योपुर | . . | | 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. कराहल | . . | | (2) . . | | |
| 3. विजयपुर | . . | | | | |
| **जिला भिण्ड :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. अटेर | . . | | 4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. भिण्ड | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. गोहद | . . | | | | |
| 4. मेहगांव | . . | | | | |
| 5. लहार | . . | | | | |
| 6. मिहोना | . . | | | | |
| 7. रौन | . . | | | | |
| **जिला ग्वालियर :** | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. ग्वालियर | . . | | 4. (1) गन्ना, उड़द, मूँगमोठ, तुअर, मूँगफली समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. डबरा | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 3. भितरवार | . . | | | | |
| 4. घाटीगांव | . . | | | | |
| **जिला दतिया :** | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है. | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सेवढ़ा | . . | | 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, उड़द, तिल, मूँगफली, सोयाबीन, गन्ना, सरसों समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. दतिया | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 3. भाण्डेर | . . | | | | |
| **जिला शिवपुरी :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. शिवपुरी | . . | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. पिछोर | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. खनियाधाना | . . | | | | |
| 4. नरवर | . . | | | | |
| 5. करैरा | . . | | | | |
| 6. कोलारस | . . | | | | |
| 7. पोहरी | . . | | | | |
| 8. बदरवास | . . | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **जिला अशोकनगर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. . . |
| 1. मुँगावली | . . | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. ईसागढ़ | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. अशोकनगर | . . | | | | |
| 4. चन्देरी | . . | | | | |
| 5. शाढौरा | . . | | | | |
| **जिला गुना :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. गुना | . . | | 4. (1) गेहूँ, चना, सरसों, धनिया, मसूर | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. राघोगढ़ | . . | | समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. बमोरी | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 4. आरोन | . . | | | | |
| 5. चाचौड़ा | . . | | | | |
| 6. कुम्भराज | . . | | | | |
| **जिला टीकमगढ़ :** | मिलीमीटर | 2. बोनी का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. निवाड़ी | . . | | 4. (1) गन्ना, गेहूँ, चना, राई-सरसों, मटर. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. पृथ्वीपुर | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. जतारा | . . | | | | |
| 4. टीकमगढ़ | . . | | | | |
| 5. बल्देवगढ़ | . . | | | | |
| 6. पलेरा | . . | | | | |
| 7. ओरछा | . . | | | | |
| **जिला छतरपुर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. . . | 7. पर्याप्त. |
| 1. लोण्डी | . . | | 4. (1) तिल-अधिक. तुअर कम. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. गौरीहार | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. नौगांव | . . | | | | |
| 4. छतरपुर | . . | | | | |
| 5. राजनगर | . . | | | | |
| 6. बिजावर | . . | | | | |
| 7. बड़ामलहरा | . . | | | | |
| 8. बकस्वाहा | . . | | | | |
| **जिला पन्ना :** | मिलीमीटर | 2. खरीफ फसलों की कटाई | 3. . . | 5. अपर्याप्त. | 7. . . |
| 1. अजयगढ़ | . . | का कार्य चालू है. | 4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. पन्ना | . . | | अलसी, मसूर, मटर, आलू, | चारा पर्याप्त. | |
| 3. गुन्नौर | . . | | प्याज. | | |
| 4. पवई | . . | | (2) . . | | |
| 5. शाहनगर | . . | | | | |
| **जिला सागर :** | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी का कार्य | 3. . . | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बीना | . . | चालू है. | 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तेवड़ा, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. खुरई | . . | | राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज | चारा पर्याप्त. | |
| 3. बण्डा | . . | | समान. | | |
| 4. सागर | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 5. रेहली | . . | | | | |
| 6. देवरी | . . | | | | |
| 7. गढ़ाकोटा | . . | | | | |
| 8. राहतगढ़ | . . | | | | |
| 9. केसली | . . | | | | |
| 10. मालथोन | . . | | | | |
| 11. शाहगढ़ | . . | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **जिला दमोह :** | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है. | 3. . . | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. हटा | . . | | 4. (1) तुअर, गेहूं, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, गन्ना समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. बटियागढ़ | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 3. दमोह | . . | | | | |
| 4. पथरिया | . . | | | | |
| 5. जवेरा | . . | | | | |
| 6. तेन्दूखेड़ा | . . | | | | |
| 7. पटेरा | . . | | | | |
| **जिला सतना :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. रघुराजनगर | . . | | 4. (1) गेहूँ, कम. तुअर, चना, मसूर, अलसी, सरसों समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. मझगवां | . . | | (2) . . | | |
| 3. रामपुर-बघेलान | . . | | | | |
| 4. नागौद | . . | | | | |
| 5. उचेहरा | . . | | | | |
| 6. अमरपाटन | . . | | | | |
| 7. रामनगर | . . | | | | |
| 8. मैहर | . . | | | | |
| 9. बिरसिंहपुर | . . | | | | |
| **जिला रीवा :** | मिलीमीटर | 2. बोनी का कार्य चालू है. | 3. . . | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. त्यौंथर | . . | | 4. (1) चना, जौ, राई-सरसों अधिक. गेहूँ कम. मसूर, अलसी, अरहर समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. सिरमौर | . . | | (2) . . | | |
| 3. मऊगंज | . . | | | | |
| 4. हनुमना | . . | | | | |
| 5. हुजूर | . . | | | | |
| 6. गुढ़ | . . | | | | |
| 7. रायपुरकर्चुलियान | . . | | | | |
| **जिला शहडोल :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सोहागपुर | . . | | 4. (1) धान, मक्का, चना, कोदों-कुटकी, सोयाबीन, तुअर, उड़द, राई-सरसों, मसूर मटर कम. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. ब्यौहारी | . . | | (2) . . | | |
| 3. जैसिंहनगर | . . | | | | |
| 4. जैतपुर | . . | | | | |
| **जिला अनूपपुर :** | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. जैतहरी | . . | | 4. (1) चना अधिक. धान, तुअर, कोदों-कुटकी, राई, अलसी, गेहूँ कम. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. . . |
| 2. अनूपपुर | . . | | (2) . . | | |
| 3. कोतमा | . . | | | | |
| 4. पुष्पराजगढ़ | . . | | | | |
| जिला **उमरिया :** | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है. | 3. . . | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बांधवगढ़ | . . | | 4. (1) ज्वार, को. कु., मूँगफली, तुअर, बाजरा, अधिक. धान, राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ, मसूर कम. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. पाली | . . | | (2) . . | | |
| 3. मानपुर | . . | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **जिला सीधी :** | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी व खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है. | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. गोपदवनास | . . | | 4. (1)राई-सरसों, गेहूँ मसूर, जौ कम. चना, अलसी समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. सिंहावल | . . | | (2) . . | | |
| 3. मझौली | . . | | | | |
| 4. कुसमी | . . | | | | |
| 5. चुरहट | . . | | | | |
| 6. रामपुरनैकिन | . . | | | | |
| **जिला सिंगरौली :** | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं राई-सरसों, गेहूँ की बोनी का कार्य चालू है. | 3. . . | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. चितरंगी | . . | | 4. (1) चना, जौ अधिक. अलसी, गेहूँ कम. मसूर,राई-सरसों समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. देवसर | . . | | (2) . . | | |
| 3. सिंगरौली | . . | | | | |
| ***जिला मन्दसौर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. सुवासरा-टप्पा | . . | | 4. (1) . . | 6. . . | 8. . . |
| 2. भानपुरा | . . | | (2) . . | | |
| 3. मल्हारगढ़ | . . | | | | |
| 4. गरोठ | . . | | | | |
| 5. मन्दसौर | . . | | | | |
| 6. श्यामगढ़ | . . | | | | |
| 7. सीतामऊ | . . | | | | |
| 8. धुन्धड़का | . . | | | | |
| 9. संजीत | . . | | | | |
| 10.कयामपुर | . . | | | | |
| **जिला नीमच :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. जावद | . . | | 4. (1) राई-सरसों, मसूर, मटर अधिक. गेहूँ, चना कम. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. नीमच | . . | | (2) . . | | |
| 3. मनासा | . . | | | | |
| **जिला रतलाम :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. जावरा | . . | | 4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. आलोट | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 3. सैलाना | . . | | | | |
| 4. बाजना | . . | | | | |
| 5. पिपलौदा | . . | | | | |
| 6. रतलाम | . . | | | | |
| **जिला उज्जैन :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. खाचरौद | . . | | 4. (1) गेहूँ, चना. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. महिदपुर | . . | | (2) . . | | |
| 3. तराना | . . | | | | |
| 4. घटिया | . . | | | | |
| 5. उज्जैन | . . | | | | |
| 6. बड़नगर | . . | | | | |
| 7. नागदा | . . | | | | |
| **जिला आगर :** | मिलीमीटर | 2. रबी की बोनी का कार्य चालू है. | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. बड़ौद | . . | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. सुसनेर | . . | | (2) . . | | |
| 3. नलखेड़ा | . . | | | | |
| 4. आगर | . . | | | | |
| **जिला शाजापुर :** | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है. | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. मो. बड़ोदिया | . . | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. शाजापुर | . . | | (2) . . | | |
| 3. शुजालपुर | . . | | | | |
| 4. कालापीपल | . . | | | | |
| 5. गुलाना | . . | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **जिला देवास :** | मिंलीमीटर | 2. बोनी का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सोनकच्छ | .. | | 4. (1) .. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. टोंकखुर्द | .. | | (2) .. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. देवास | .. | | | | |
| 4. बागली | .. | | | | |
| 5. कन्नौद | .. | | | | |
| 6. खातेगांव | .. | | | | |
| **जिला झाबुआ :** | मिलीमीटर | 2. .. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. अपर्याप्त. | 7. .. |
| 1. थांदला | .. | | 4. (1) मक्का, गेहूँ, चना, अधिक. तुअर | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. मेघनगर | .. | | कम. कपास समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. पेटलावद | .. | | (2) .. | | |
| 4. झाबुआ | .. | | | | |
| 5. राणापुर | .. | | | | |
| **जिला अलीराजपुर :** | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. जोबट | .. | | 4. (1) ज्वार, कपास, तुअर कम. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. अलीराजपुर | .. | | (2) .. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. कट्टीवाड़ा | .. | | | | |
| 4. सोण्डवा | .. | | | | |
| 5. चं. शेखर आ. न. | .. | | | | |
| 6. भामरा | .. | | | | |
| **जिला धार :** | मिलीमीटर | 2. सोयाबीन फसल कटाई | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. .. |
| 1. बदनावर | 7.0 | का कार्य चालू है. | 4. (1) सोयाबीन अधिक. कपास, गन्ना, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. सरदारपुर | .. | | मक्का कम. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. धार | 74.9 | | (2) .. | | |
| 4. कुक्षी | 53.9 | | | | |
| 5. मनावर | 91.0 | | | | |
| 6. धरमपुरी | 132.0 | | | | |
| 7. गंधवानी | 114.0 | | | | |
| 8. डही | 68.0 | | | | |
| **जिला इन्दौर :** | मिलीमीटर | 2. .. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. देपालपुर | .. | | 4. (1) .. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. सांवेर | .. | | (2) .. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. इन्दौर | .. | | | | |
| 4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर) | .. | | | | |
| **जिला खरगौन :** | मिलीमीटर | 2. बोनी का कार्य चालू है. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बड़वाह | .. | | 4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. महेश्वर | .. | | राई-सरसों, अलसी, अधिक. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. सेगांव | .. | | ज्वार, धान, तुअर, गेहूँ, चना कम. | | |
| 4. खरगौन | .. | | (2) .. | | |
| 5. गोगावां | .. | | | | |
| 6. कसरावद | .. | | | | |
| 7. भगवानपुरा | .. | | | | |
| 8. भीकनगांव | .. | | | | |
| 9. झिरन्या | .. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **जिला बड़वानी :** | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बड़वानी | .. | | 4. (1) .. | 6. संतोषप्रद, | 8. .. |
| 2. ठीकरी | .. | | (2) .. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. राजकोट | .. | | | | |
| 4. सेंधवा | .. | | | | |
| 5. पानसेमल | .. | | | | |
| 6. पाटी | .. | | | | |
| 7. निवाली | .. | | | | |
| ***जिला खण्डवा :** | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. .. |
| 1. खण्डवा | .. | | 4. (1) .. | 6. .. | 8. .. |
| 2. पंधाना | .. | | (2) .. | | |
| 3. हरसूद | .. | | | | |
| **जिला बुरहानपुर :** | मिलीमीटर | 2. बोनी का कार्य चालू है. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बुरहानपुर | .. | | 4. (1) कपास, मूँगफली सुधरी हुई. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. खकनार | .. | | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. नेपानगर | .. | | | | |
| ***जिला राजगढ़ :** | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. .. |
| 1. जीरापुर | .. | | 4. (1) .. | 6. .. | 8. .. |
| 2. खिलचीपुर | .. | | (2) .. | | |
| 3. राजगढ़ | .. | | | | |
| 4. ब्यावरा | .. | | | | |
| 5. सारंगपुर | .. | | | | |
| 6. पचोर | .. | | | | |
| 7. नरसिंहगढ़ | .. | | | | |
| **जिला विदिशा :** | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. लटेरी | .. | | 4. (1) .. | 6. संतोषप्रद, | 8. .. |
| 2. सिरोंज | .. | | (2) .. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. उरवाई | .. | | | | |
| 4. बासौदा | .. | | | | |
| 5. नटेरन | .. | | | | |
| 6. विदिशा | .. | | | | |
| 7. गुलाबगंज | .. | | | | |
| 8. ग्यारसपुर | .. | | | | |
| **जिला भोपाल :** | मिलीमीटर | 2. बोनी का कार्य चालू है. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बैरसिया | .. | | 4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर, तेवड़ा, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. हुजूर | .. | | तुअर अधिक. | चारा पर्याप्त. | |
| | | | (2) .. | | |
| **जिला सीहोर :** | मिलीमीटर | 2. बोनी का कार्य चालू है. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सीहोर | .. | | 4. (1) .. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. आष्टा | .. | | (2) .. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. इछावर | .. | | | | |
| 4. नसरुल्लागंज | .. | | | | |
| 5. बुधनी | .. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **जिला रायसेन :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. रायसेन | . . | | 4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, तिल, मटर, लाख. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. गैरतगंज | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. बेगमगंज | . . | | | | |
| 4. गौहरगंज | . . | | | | |
| 5. बरेली | . . | | | | |
| 6. सिलवानी | . . | | | | |
| 7. बाड़ी | . . | | | | |
| 8. उदयपुरा | . . | | | | |
| ***जिला बैतूल :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. भैंसदेही | . . | | 4. (1) . . | 6. . . | 8. . . |
| 2. घोड़ाडोंगरी | . . | | (2) . . | | |
| 3. शाहपुर | . . | | | | |
| 4. चिचोली | . . | | | | |
| 5. बैतूल | . . | | | | |
| 6. मुलताई | . . | | | | |
| 7. आठनेर | . . | | | | |
| 8. आमला | . . | | | | |
| **जिला होशंगाबाद :** | मिलीमीटर | 2. बोनी का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सिवनी-मालवा | . . | | 4. (1) धान, गन्ना,सोयाबीन, मूंगमोठ, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. होशंगाबाद | . . | | अधिक. उड़द कम. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. बावई | . . | | (2) . . | | |
| 4. इटारसी | . . | | | | |
| 5. सोहागपुर | . . | | | | |
| 6. पिपरिया | . . | | | | |
| 7. बनखेड़ी | . . | | | | |
| 8. पचमढ़ी | . . | | | | |
| **जिला हरदा :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. हरदा | . . | | 4. (1) गेहूँ, चना समान. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. खिड़किया | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. टिमरनी | . . | | | | |
| **जिला जबलपुर :** | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी का | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. . . |
| 1. सीहोरा | . . | कार्य चालू है. | 4. (1) गेहूँ, चना, मटर कम. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. पाटन | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. जबलपुर | . . | | | | |
| 4. मझौली | . . | | | | |
| 5. कुण्डम | . . | | | | |
| **जिला कटनी :** | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी का कार्य | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. कटनी | . . | चालू है. | 4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना, गेहूँ. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. रीठी | . . | | मसूर, मटर. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. विजयराघौगढ़ | . . | | (2) . . | | |
| 4. बहोरीबंद | . . | | | | |
| 5. ढीमरखेड़ा | . . | | | | |
| 6. बरही | . . | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **जिला नरसिंहपुर :** | मिलीमीटर | 2. बोनी का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. गाडरवारा | .. | | 4. (1) तुअर, सोयाबीन, धान, उड़द, गन्ना, मूंग. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. करेली | .. | | (2) .. | | |
| 3. नरसिंहपुर | .. | | | | |
| 4. गोटेगांव | .. | | | | |
| 5. तेन्दूखेड़ा | .. | | | | |
| **जिला मण्डला :** | मिलीमीटर | 2. धान की कटाई का कार्य चालू है. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. निवास | .. | | 4. (1) मक्का, सन, तिल, धान, उड़द, तुअर, कोदों-कुटकी, सोयाबीन समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. बिछिया | .. | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 3. नैनपुर | .. | | | | |
| 4. मण्डला | .. | | | | |
| 5. घुघरी | .. | | | | |
| 6. नारायणगंज | .. | | | | |
| **जिला डिण्डोरी :** | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है. | 3. .. | 5. .. | 7. पर्याप्त. |
| 1. डिण्डोरी | .. | | 4. (1) को. कुटकी, तुअर राम-तिल, राई-सरसों, अलसी, गेहूँ, चना, मसूर, मटर, लाख समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. शाहपुरा | .. | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| **जिला छिन्दवाड़ा :** | मिलीमीटर | 2. .. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. छिन्दवाड़ा | .. | | 4. (1) मक्का, धान अधिक. सोयाबीन कम. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. जुन्नारदेव | .. | | (2) .. | | |
| 3. परासिया | .. | | | | |
| 4. जामई (तामिया) | .. | | | | |
| 5. सोंसर | .. | | | | |
| 6. पांढुर्णा | .. | | | | |
| 7. अमरवाड़ा | .. | | | | |
| 8. चौरई | .. | | | | |
| 9. बिछुआ | .. | | | | |
| 10. हर्रई | .. | | | | |
| 11. चांद | .. | | | | |
| 12. बोलखेड़ा | .. | | | | |
| **जिला सिवनी :** | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी व खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है. | 3. .. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सिवनी | .. | | 4. (1) गेहूँ, जौ, राजगिर, चना, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, उड़द, मूंग, अरण्डी, राई-सरसों, अलसी, कुसुम, सूरजमुखी | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. केवलारी | .. | | (2) .. | | |
| 3. लखनादौन | .. | | | | |
| 4. बरघाट | .. | | | | |
| 5. उरई | .. | | | | |
| 6. घंसौर | .. | | | | |
| 7. घनोरा | .. | | | | |
| 8. छपारा | .. | | | | |
| **जिला बालाघाट :** | मिलीमीटर | 2. धान की कटाई का कार्य चालू है. | 3. .. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बालाघाट | .. | | 4. (1) .. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. लाँजी | .. | | (2) .. | | |
| 3. बैहर | .. | | | | |
| 4. वारासिवनी | .. | | | | |
| 5. कटंगी | .. | | | | |
| 6. किरनापुर | .. | | | | |

**टीप.**— *जिला मंदसौर, खण्डवा, राजगढ़, बैतूल से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(273)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2016.